

प्रेसनोट

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा दिनांक 06.09.2015 को आयोजित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-15 (विज्ञापन क्रमांक 52/2015) संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास म0प्र0 के पत्र क्रमांक/अ-3-अ/स्था./5/13/2868 दिनांक 15.07.2015 के तारतम्य में निरस्त कर दी गई थी।

उक्त परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क वापिस करने हेतु दिनांक 22.06.2016 को विभिन्न समाचार पत्रों में सूचना दी गई थी। दिनांक 20.06.2016 से 20.07.2016 तक MPOonline के पोर्टल के माध्यम से संबंधित जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे उनके परीक्षा शुल्क की राशि बैंक खातों में RTGS/NEFF के माध्यम से वापिस की गई थी। 200 अभ्यर्थियों का खाता विवरण गलत होने के कारण भुगतान नहीं हो पाया है, उनकी जानकारी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एवं MPOonline की वेबसाइट पर 18.10.2016 से उपलब्ध होगी। अतः जो अभ्यर्थी आवेदन करने से छूट गये हैं, उन्हें पुनः अंतिम अवसर दिया जा रहा है वे अपनी जानकारी MPOonline पोर्टल पर दिनांक 20.10.2016 से 20.11.2016 तक शुल्क वापिसी हेतु आवेदन कर सकते हैं। शुल्क वापिसी हेतु अभ्यर्थी अपना आवेदन क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी., जन्मदिनांक, बैंक खाता विवरण (खाता संख्या, आई.एफ.एस कोड एवं बैंक का नाम) तथा पता पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करें।